



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052026-272207
CG-DL-E-02052026-272207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2098]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 2026/वैशाख 12, 1948

No. 2098]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 2026/VAISAKHA 12, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2179(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 15 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 28 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. U-11019/6/2025-UTL]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2179(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 28 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Delhi Land Holdings (Ceiling) Act, 1960, shall come into force.

[F. No. U-11019/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2180(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 15 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 59 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. U-11019/6/2025-UTL]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2180(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 59 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005, shall come into force.

[F. No. U-11019/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2181(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 15 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 60 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. U-11019/6/2025-UTL]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2181(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 60 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Disaster Management Act, 2005, shall come into force.

[F. No. U-11019/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2182(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 15 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 34 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. U-11019/6/2025-UTL]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2182(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 34 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Civil Defence Act, 1968, shall come into force.

[F. No. U-11019/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2183(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 15 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 41 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. U-11019/6/2025-UTL]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2183(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 41 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Delhi Police Act, 1978, shall come into force.

[F. No. U-11019/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2184(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 15 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 53 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. U-11019/6/2025-UTL]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2184(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 53 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the New Delhi Municipal Council Act, 1994, shall come into force.

[F. No. U-11019/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2185(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 15 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 26 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. U-11019/6/2025-UTL]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2185(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 26 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, shall come into force.

[F. No. U-11019/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.